बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार ता० २१ मार्च १९६० को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

बैल की कुर्की।

१२४। श्री कार्यानन्द शर्मा—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि ता० ५ फरवरी १९६० को लखीसराय थाने (जिला मुंगेर) के सिसमा गांव के श्री शिव सहाय सिंह, श्री द्वारिका सिंह तथा एक और किसान के एक-एक जोड़े हल के बैल बकाए लगान में कुर्क किए गए हैं;

(२) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो खेती के बैल कुर्क करना क्या कानून से जायज है और क्या इससे खेती में क्षति नहीं होगी तथा सरकार इस संबंध में क्या कारंवाई करने का विचार करती है?

*श्री राधागोविन्द प्रसाद—(१) यह बात सही है कि श्री शिव सहाय सिंह तथा श्री द्वारिका सिंह, ग्राम सिसमा, थाना लक्खीसराय के ऊपर लगान वसूली के लिए सर्टिफिकेट किया गया था। इस सिलसिले में जायदाद कुर्क करने का वारंट जारी किया गया था। वारंट लेकर जब इनके पास लगान बकाया मांगने के लिए नजारत प्यून गया तो उक्त व्यक्तियों ने लगान बकाया देने से इन्कार किया। अतएव, श्री शिव सहाय सिंह जो परिवार के प्रमुख व्यक्ति हैं एवं जिनके नाम से सारी जायदाद है, उनका एक जोड़ा बैल कुर्क करके जमानत पर छोड़ दिया गया। इस संयुक्त परिवार में तीन जोड़े बैल हैं।

श्री द्वारिका सिंह के पास एक जोड़ा बैल एवं एक रास भैंस है, जिसमें केवल एक रास भैंस ही कुर्क की गयी एवं उसे भी जमानत पर छोड़ दिया गया।

(२) बिहार सर्टिफिकेट मैनुअल, १९५४ के नियम १८ के अनुसार ऐसे मवेशियों की जप्ती तथा कुर्क की जा सकती है जो कृषि तथा जीवन-निर्वाह के लिए सर्टिफिकेट अफसर की राय में आवश्यक न हों। कुर्क करने पर भी तो मवेशी उसी सर्टिफिकेट-डेटर

परिशिष्ट

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ९१ (४) के अनुसार सभा मेज पर रखे गए प्रश्नोत्तर।

Appendix.

Questions and Answers laid on the Table under rule 91(4) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Bihar Legislative Assembly.

INCREEMENT IN THE SALARY.

1205. **Shri DEBI LALJI :** Will the Revenue Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that Government have appointed Tahsil-peon for each Karamchari to assist in day-to-day affairs of Revenue Department;

(2) whether it is a fact that these Tahsil-peons have to be present with the Karamcharis even on Sudnday and other holidays;

(3) whether it is a fact that these Tahsil-peons are paid a monthly salary of rupees thirty only with no other facilities;

(4) if the answers to the above clauses be in the affirmative, do Government think it desirable to increase the salary of the Tahsil-peons to maintain their livelihood ?

श्री विनोदानन्द झा—(१) और (२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) तहसील-प्यून का वेतन सिर्फ २५ रु० प्रतिमाह है।

(४) इन लोगों का तनखाह साधारण प्यूनों से ज्यादा है। इसलिए इन लोगों के तनखाह बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता। यह बात सही है कि इन लोगों को महंगाई भत्ता नहीं मिलता है जो कि सरकार के विचाराधीन है।

कुआं का निर्माण।

१२०६। श्री शीतल प्रसाद गुप्ता—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत जोगवनी ग्राम में श्री चन्द्र नारायण दास ने १९५४-५५ में हाजीगंज खजुरवाड़ी हाई स्कूल में हरिजनों के लिए कुआं बनवाने हेतु इम्प्रूवमेंट ग्रांट से तीन स्कीमें ली थीं;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्कीम में एडवान्स लेने के बाद भी जब उन्होंने इन स्कीमों को तैयार नहीं करवाया तो सरकार की ओर से एक केस किया गया जिसमें सरकार हार गई ;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त तीनों कुओं के बनवाने की कौन-सी व्यवस्था कर रही है एवं जो रुपया एडवान्स स्वरूप श्री चन्द्र नारायण दास को दिए गये हैं, उन रुपयों को वापस करने की कौन-सी कार्रवाई की जा रही है?

श्री विनोदानन्द झा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) अभी उन कुओं के बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि वे तीनों योजनाएं स्थगित कर दी गई है तथा चन्द्र नारायण दास से रुपया वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं जो अभी लम्बित है।

PAYMENT OF THE COMPENSAT.ON.

1207. Shri MANZOOR AHMAD : Will the Revenue Minister be pleased to State—

(1) whether it is a fact that 2 acres 74 decimals of land was acquired for the construction of Tube-Well no. 36 and its drainage in village Machalpur Lai, P.O. Lai, P.-S. Bihta, district Patna, if so, when was it acquired;

(2) what amount of compensation has been paid to the owner of the land and when was it paid ?

श्री विनोदानन्द झा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। यह जमीन १९५८ साल में ही अर्जित की गई थी।

(२) इसका मुआवजा ८ मार्च १९६० को ही सूद सहित दखल लेने की तारीख से भुगतान कर दिया जा चुका है।

रुपया लौटाने का कारण।

१२०८। श्री घनश्याम सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिले के चौथम थानान्तर्गत चौथम पंचायत के मुखिया श्री युगल किशोर सिंह ने उसी पंचायत के खरैता मंजनी गांव में हार्ड मैनुअल के अन्तर्गत १९५८-५९ में बांध का कार्य पंचायत की ओर से किया था ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त बांध का अंतिम भुगतान की अंतिम नाप कर वहां के अंचलाधिकारी ने उक्त मुखिया को दे दिया था ;